

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

// -:आदेश:- //

क्रमांक 462/स्था.वि./न.पा.नि./2018

रायगढ़ दिनांक 15/03/18

वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 10 के परंतुक (2) अनुसार ऐसे कर्मचारी जो अपने वेतन बैंड के उच्चतम पर पहुंच गया है ऐसे उच्चतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात आगामी उच्चतर वेतन बैंड दिया जायेगा वेतन बैंड में स्थापन के समय एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा इसके पश्चात वेतन बैंड 04 के अधिकतम स्तर तक पहुंचने तक वह निरंतर उच्चतर वेतन बैंड प्राप्त करता रहेगा का उल्लेख है तत्संबंध में नीचे उल्लेखित कर्मचारी को उच्चतर वेतन बैंड स्वीकृत किया जाता है।

| क्र. | कर्मचारी का नाम | पदनाम | नियुक्ति दिनांक | वर्तमान वेतन बैंड | वेतन बैंड के उच्चतम पर पहुंचने का दिनांक |
|------|------------------|-------|-----------------|-------------------|--|
| 01 | श्रीमती गंगा बाई | भृत्य | 04.07.1994 | 4750-7440-1400 | 01.07.2011 |

पृ.क्र. 462/स्था.वि./न.पा.नि./2018
प्रतिलिपि :-

01. उपायुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
02. कार्यालय अधीक्षक नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. समस्त विभाग..... नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
04. संबंधितको नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. डाटा सेंटर प्रभारी, नगर पालिक निगम रायगढ़ के वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु।

Uee
आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)
रायगढ़ दिनांक 15/03/18

Uee
आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)